खबरों में रहे स्टॉक

मारुति सुजूकी इंडिया

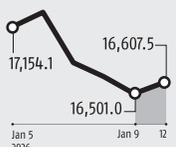

देश भर में सर्विस नेटवर्क को बढ़ाने के लिए आईओसीएल के साथ सहयोग किया

₹ 16,501.0 पिछला बंद भाव
₹ 16,607.5 आज का बंद भाव
0.65 % ▲

टैनफैक इंडस्ट्रीज

फ्लोरीनेटेड केमिकल्स की सप्लाई के लिए 338 करोड़ रुपये का ऑर्डर मिला

₹ 4,401.7 पिछला बंद भाव
₹ 4,498.6 आज का बंद
2.2 % ▲

शक्ति पंप्स इंडिया

कंपनी को केआरईडीएल से 601 करोड़ रुपये का ऑर्डर मिला

₹ 685.7 पिछला बंद भाव
₹ 721.3 आज का बंद भाव
5.2 % ▲

लार्सन ऐंड टुब्रो

सपुरा नॉटिकल पावर की हिस्सेदारी के अधिग्रहण के लिए समझौता किया

₹ 4,026.8 पिछला बंद भाव
₹ 4,018.5 आज का बंद भाव
-0.2 % ▼

एलेम्बिक फार्मास्युटिकल्स

बोसुटिनिब टैबलेट के लिए यूएसएफडीए से मंजूरी मिलने की घोषणा की

₹ 799.9 पिछला बंद भाव
₹ 796.0 आज का बंद भाव
-0.5 % ▼

संक्षेप में

कोरोमंडल बनाएगी कॉरपोरेट रिसर्च सेंटर

भारत की प्रमुख कृषि समाधान प्रदाता कंपनियों में से एक कोरोमंडल इंटरनैशनल ने आईआईटी मद्रास रिसर्च पार्क में एक कॉरपोरेट रिसर्च सेंटर बनाने के लिए भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान मद्रास (आईआईटीएम) के साथ एक समझौता किया है। यह भागीदारी कोरोमंडल को भारत और विदेश में आईआईटी मद्रास इकोसिस्टम के विश्वस्तरीय शोध, नवाचार और टेक्नोलॉजी इन्फ्रास्ट्रक्चर का फायदा उठाने में मदद करेगी, जिससे कृषि, सस्टेनेबिलिटी और नई टेक्नोलॉजी के क्षेत्रों में रणनीतिक महत्त्व के क्षेत्रों में सहयोग को बढ़ावा मिलेगा। *बीएस*

सुरक्षा ग्रुप ने रुकी परियोजनाएं पूरी कीं

मुंबई की रियल एस्टेट कंपनी सुरक्षा ग्रुप (जिसने 2024 में इनसॉल्वेंसी प्रोसेस के जरिये जेपी इन्फ्राटेक-जेआईएल को खरीदा था) ने कहा कि उसने नोएडा की विश टाउन टाउनशिप में 63 रेजिडेंशियल टावरों में लगभग 5,989 यूनिट्स का कार्य पूरा कर लिया है। कंपनी ने कहा है कि उसने 31 टावरों के लिए ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट हासिल कर लिए हैं, जिनमें 3,135 यूनिट्स शामिल हैं। ग्रुप ने अपने फाइनल रिजॉल्यूशन प्लान में अलग-अलग रुकी हुई आवासीय परियोजनाओं में लगभग 20,000 को पूरा करने का वादा किया था। *बीएस*

एचसीएल टेक का लाभ 11 % घटा

अभीक दास
बेंगलूरु, 12 जनवरी

राजस्व रहा बेहतर

- मुनाफे के आंकड़े पर नई श्रम संहिता का दिखा असर
- दिसंबर तिमाही में कंपनी का शुद्ध मुनाफा रहा 4,076 करोड़ रुपये
- राजस्व 13.3 प्रतिशत बढ़कर 33,872 करोड़ रुपये रहा
- कंपनी को नए क्षेत्रों पर ध्यान देने और ज्यादा ठेके हासिल होने से मदद मिली

भारत की तीसरी सबसे बड़ी सूचना प्रौद्योगिकी (आईटी) कंपनी एचसीएल टेक्नॉलजीज का मुनाफा चालू वित्त वर्ष की तीसरी तिमाही में 11.1 प्रतिशत कम रहा है। नवंबर में सरकार द्वारा लागू नई श्रम संहिता का असर कंपनी के मुनाफे पर दिखा है। 31 दिसंबर 2025 को समाप्त तिमाही में कंपनी का शुद्ध मुनाफा 4,076 करोड़ रुपये रहा।

एचसीएल का तीसरी तिमाही का राजस्व सालाना आधार पर 13.3 प्रतिशत बढ़कर 33,872 करोड़ रुपये हो गया जिसे वित्तीय सेवाओं और विनिर्माण खंड से मदद मिली। स्थिर मुद्रा के आधार पर ये क्रमशः 8.1 प्रतिशत और 1.8 प्रतिशत ऊपर रहे। तिमाही आधार पर कंपनी का राजस्व 6 प्रतिशत बढ़ा।

राजस्व के आंकड़े ब्लूमबर्ग के अनुमान से बेहतर रहे मगर मुनाफा बाजार की उम्मीदों से कम रहा।

नए क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित करने और ठेके अधिक मिलने से एचसीएलटेक को अपने अनुमान में संशोधन करने में मदद मिली। कंपनी स्तर पर अब उसे स्थिर मुद्रा में 4.0 से 4.5 प्रतिशत के बीच बढ़ने की उम्मीद है जो तीन महीने पहले अनुमानित 3 से 5 प्रतिशत से अधिक है। सेवाओं से प्राप्त राजस्व 4.75 से 5.25 प्रतिशत के बीच तेजी से बढ़ने की उम्मीद है जो 4-5 प्रतिशत से अधिक है।

कंपनी के सीईओ एवं एमडी सी विजयकुमार ने कहा कि विवेकाधीन खर्च का प्रारुप दूसरी तिमाही में समान रहा क्योंकि अनिश्चितताएं बरकरार रहीं। उन्होंने आगे कहा, 'पारंपरिक खर्च वाले क्षेत्रों में अभी भी थोड़ी नरमी है मगर हम अब कुछ साल पहले के स्तर पर वापस आने का इंतजार या अनुमान नहीं लगा रहे हैं। इसके बजाय हम अपनी ऊर्जा उस जगह पर केंद्रित कर रहे हैं जहां खर्च हो रहा है। इन क्षेत्रों में डेटा सेंटर, रोबोटिक्स फिजिकल आर्टिफिशल इंटेलिजेंस (एआई), सेमीकंडक्टर और एज इन्फ्रेसिंग हैं जो एआई के आधारभूत खंड हैं।'

दिसंबर में समाप्त तीन महीनों के दौरान श्रम संहिता के प्रावधानों के अंतर्गत कंपनी ने कर्मचारी लाभों के लिए 956 करोड़ रुपये अलग कर रखे थे। कंपनी ने सोमवार को कहा, 'इंड एएस 19 के तहत विधायी संशोधनों के कारण कर्मचारी लाभ योजनाओं में परिवर्तन एक योजना संशोधन का गठन करते हैं जिसके लिए लाभ और हानि के विवरण में तुरंत पिछली सेवा लागत को मान्यता देने की आवश्यकता होती है।'

एक अन्य आईटी कंपनी टीसीएस ने भी 2,128 करोड़ रुपये पर कोड के प्रभाव का प्रावधान किया। विशेषज्ञों का कहना है कि नए श्रम संहिता भारत के आईटी एवं आईटीईएस क्षेत्र के लिए एक अहम बदलाव लाएगी क्योंकि पहली बार इन कंपनियों को सरकार द्वारा पूर्व में स्थापित मानदंडों के साथ-साथ केंद्रीय ओएसएच संहिता के अंतर्गत काम करना होगा। इनमें काम के घंटे, अतिरिक्त कार्य (ओवरटाइम), कल्याण और वैधानिक दस्तावेज पर निर्देशात्मक नियम लागू किए जाएंगे।

एचसीएलटेक को कुल 3 अरब डॉलर के अनुबंध मिले जो एक साल पहले की तुलना में 43.5 प्रतिशत अधिक है।

टीसीएस में कर्मियों की संख्या में गिरावट जारी

बीएस संवाददाता
मुंबई, 12 जनवरी

भारत की सबसे बड़ी आईटी सेवा फर्म टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज (टीसीएस) में कर्मचारियों की संख्या में गिरावट जारी है। हालांकि कंपनी का कहना है कि उसने फ्रेशर्स की भर्ती दोगुनी कर दी है। वित्त वर्ष 2026 की तीसरी तिमाही में कंपनी के कर्मचारियों की संख्या 11,151 घट गई। टीसीएस में कुल कर्मचारियों की संख्या 5,82,163 थी। यह पिछली तिमाही के 5,93,314 से कम है।

दिसंबर तिमाही में टीसीएस में मर्जी से नौकरी छोड़ने वालों की दर 13.5 प्रतिशत थी, जो इससे पिछली तिमाही के 13.3 प्रतिशत से थोड़ी ज्यादा है। दिसंबर तिमाही में कर्मचारियों की संख्या में गिरावट वित्त वर्ष 2026 की सितंबर तिमाही में दर्ज गिरावट से कम है। उस तिमाही में कर्मचारियों की संख्या में 19,755 कर्मचारियों की कमी आई थी।

कुल आंकड़ों को देखते हुए, विश्लेषकों का कहना है कि कंपनी का रीस्ट्रक्चरिंग ही कर्मचारियों की संख्या में कमी का मुख्य कारण है। हालांकि, पुनर्गठन की वजह से प्रभावित होने वाले लोगों की सही संख्या का पता नहीं चल पाया है। लेकिन कंपनी ने पहले एक घोषणा में कहा था कि इससे 2 प्रतिशत या 12,260 लोग प्रभावित होंगे।

नैसेंट इन्फॉर्मेशन टेक्नॉलजी एम्प्लॉइज सीनेट (एनआईटीईएस) में अध्यक्ष हरप्रीत सिंह सलूजा ने कहा, 'टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज (टीसीएस) के हालिया तिमाही खुलासों ने एक बार फिर कंपनी के सार्वजनिक बयान और कर्मचारियों के सामने आ रही असलियत के बीच गंभीर अंतर को उजागर किया है। कंपनी ने वित्त वर्ष 2026 की तीसरी तिमाही के अपने नतीजों में आधिकारिक तौर पर खुलासा किया है कि मौजूदा पुनर्गठन प्रक्रिया के तहत एक ही तिमाही में उसके कर्मचारियों की संख्या 11,151 घट गई है।

टीसीएस का मुनाफा 14 फीसदी घटा

पृष्ठ 1 का शेष

चालू वित्त वर्ष की तीसरी तिमाही में कंपनी ने लगभग सभी बाजारों में सकारात्मक वृद्धि दर्ज की मगर स्थिर मुद्रा पर अंतरराष्ट्रीय बाजार में कंपनी की आय महज 0.5 फीसदी बढ़ी। चालू वित्त वर्ष की तीसरी तिमाही में उत्तर अमेरिका में कंपनी की आय 0.1 फीसदी और लैटिन अमेरिका में आय 4.6 फीसदी बढ़ी है। ब्रिटेन में आय 1.9 फीसदी घटी मगर यूरोप में 2.1 फीसदी की बढ़ोतरी देखी गई।

गुजरात के खोरज में संयंत्र लगाएगी मारुति सुजूकी

दीपक पटेल
नई दिल्ली, 12 जनवरी

मारुति सुजूकी इंडिया (एमएसआईएल) ने सोमवार को कहा कि उसका नया कार निर्माण संयंत्र गुजरात में गांधीनगर जिले के खोरज औद्योगिक क्षेत्र में लगाया जाएगा। बीएसई को भेजी जानकारी में कंपनी ने बताया कि इस संयंत्र के लिए जरूरी निवेश को क्षमता स्थापित करने के चरणों को तय करते समय उसका निदेशक मंडल तय और स्वीकृत करेगा। कंपनी ने कहा, 'बोर्ड द्वारा स्वीकृत जमीन को खरीदने, विकसित करने और शुरुआती कामों की लागत 4,960 करोड़ रुपये है।' भारत की सबसे बड़ी कार निर्माता ने जनवरी 2024 में घोषणा की थी कि वह गुजरात में एक नया कार कारखाना लगाएगी जिसकी सालाना उत्पादन क्षमता 10 लाख वाहन होगी और इसमें करीब 35,000 करोड़ रुपये का निवेश होगा। कंपनी ने यह भी बताया था कि नया संयंत्र 2028-29 में काम शुरू कर देगा। अभी मारुति के चार संयंत्रों में कुल सालाना उत्पादन क्षमता 24 लाख वाहनों का है, जो हरियाणा के गुरुग्राम, मानेसर, खरखौदा और गुजरात के हंसलपुर में हैं। मारुति सुजूकी इंडिया ने वाहन बाजार के संभावित विस्तार की तैयारी के लिए 2030-31 तक भारत में लगभग 40 लाख वाहन उत्पादन क्षमता हासिल करने की योजना बनाई है। खरखौदा प्लांट और हंसलपुर प्लांट के विस्तार के साथ-साथ खोरज में नया प्लांट कंपनी को 40 लाख गाड़ियों का लक्ष्य हासिल करने में मदद करेगा।

मारुति का इंडियन ऑयल संग करार

दीपक पटेल
नई दिल्ली, 12 जनवरी

मारुति सुजूकी इंडिया ने सोमवार को कहा कि उसने देश भर में इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन (आईओसीएल) के चुनिंदा फ्यूल रिटेल आउटलेटों पर वाहन सर्विस सुविधाएं शुरू करने के लिए सरकारी उपक्रम के साथ एक समझौता किया है। इस साझेदारी के तहत ग्राहक इन सुविधाओं के तहत रुटीन मैंटेनेंस, छोटी-मोटी मरम्मत और बड़ी सेवाओं का लाभ उठा सकेंगे। भारत में इंडियन ऑयल के 41,000 से अधिक पेट्रोल-डीजल आउटलेट हैं। आईओसीएल के साथ इस साझेदारी से मारुति को 2,882 शहरों में फैले 5,780 से अधिक सर्विस टचप्वाइंट के मौजूदा नेटवर्क से इतर अपने आफ्टर-सेल्स आधार का विस्तार करने में मदद मिलेगी।

मारुति सुजूकी के कार्यकारी अधिकारी (सेवा) राम सुरेश अकेला ने कहा, 'हमारा लक्ष्य अपने ग्राहकों के लिए कार सर्विस को जितना संभव हो, आसान और सुविधाजनक बनाना है। भारत के सबसे भरोसेमंद महारत्न उद्यमों में से एक आईओसीएल के साथ साझेदारी करके हम अपनी आफ्टर-सेल्स सर्विस को उन स्थानों पर ले जाने के लिए उनकी बेजोड़ पहुंच का लाभ उठाएंगे, जहां हमारे ग्राहक अक्सर आते हैं।' मारुति सुजूकी भारत की सबसे बड़ी कार निर्माता कंपनी है, जिसकी देश की वार्षिक घरेलू यात्री वाहन बिक्री में लगभग 39 प्रतिशत हिस्सेदारी है।

विंडसर 2025 में देश में सर्वाधिक बिकने वाली ईवी

भारतीय इलेक्ट्रिक कार बाजार 2025 में एक महत्त्वपूर्ण मोड़ पर पहुंच गया और कुल बिक्री लगभग 2,00,000 वाहनों के आंकड़े तक पहुंच गई। यह संख्या 2024 में दर्ज 1,10,000 वाहनों के मुकाबले तेज वृद्धि है। इस लगभग 82 प्रतिशत वृद्धि की अगुआई जेएसडब्ल्यू एमजी विंडसर ने की जो 46,735 वाहन बिक्री के साथ देश की सबसे ज्यादा बिकने वाली इलेक्ट्रिक कार बन गई। विंडसर को वर्ष 2024 के आखिर में लॉन्च किया गया था, जिससे पहले साल में इसकी बिक्री 10,547 वाहन तक सीमित रही। अपने पहले पूरे कैलेंडर वर्ष में इस मॉडल ने अच्छी रिटेल रफ्तार दिखाई और हर महीने औसतन लगभग 4,000 गाड़ियों की बिक्री हुई।

IDBI BANK

सार्वजनिक सूचना (मांग सूचना की तामील न होने की स्थिति में सरफेसी अधिनियम की धारा 13(2) के तहत जारी की जाएगी)

आईडीबीआई बैंक लिमिटेड, एससीओ 72–73, सेक्टर 17–बी, चंडीगढ़ – 160017
वित्तीय परिसंपत्तियों के प्रतिभूतिकरण और पुनर्निर्माण तथा सुरक्षा हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 (सरफेसी अधिनियम) के तहत सूचना

पता :– (1) श्री नानूमल पुत्र श्री राम चरण (ऋणकर्ता), **(2) श्रीमती लक्ष्मी** पत्नी श्री नानूमल (सह–ऋणकर्ता और बंधककर्ता) और **(3) श्री सोनू** पुत्र श्री नानूमल (सह–ऋणकर्ता), 811, न्यू इंदिरा कॉलोनी, मनीमाजरा, चंडीगढ़ – 160101

एतद्द्वारा उपरोक्त ऋणकर्ता(ओं) और बंधककर्ता(ओं) को सूचित किया जाता है कि आईडीबीआई बैंक लिमिटेड (आईडीबीआई बैंक) द्वारा आवास प्रयोजन के लिए सावधि ऋण के रूप में उपरोक्त ऋणकर्ता को **रु. 15,00,000/– (रुपये पंद्रह लाख मात्र)** (सामूहिक रूप से "वित्तीय सहायता") की वित्तीय सहायता स्वीकृत की गई थी। उक्त वित्तीय सहायता की स्वीकृति के बाद, **आईडीबीआई बैंक लिमिटेड (आईडीबीआई बैंक)** द्वारा आवश्यक ऋण और सुरक्षा दस्तावेज निष्पादित किए गए थे। उक्त वित्तीय सहायता, अन्य बातों के अलावा, नीचे उल्लिखित संपत्तियों के स्वामित्व विलेखों को गिरवी रखकर सुरक्षित की गई है। चूंकि उपरोक्त उधारकर्ता ने दिनांक 13–12–2018 के ऋण समझौता(ओं) के अनुसार उक्त वित्तीय सहायता के पुनर्भुगतान में चूक की है, इसलिए भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) द्वारा समय–समय पर जारी दिशानिर्देशों के अनुसार, **आईडीबीआई बैंक** के बहीखातों में उधारकर्ता के खाता को दिनांक **08–10–2025** को अनिष्पादनकारी परिसंपत्ति (एनपीए) के रूप में वर्गीकृत किया गया है। उपरोक्त उधारकर्ता द्वारा की गई चूकों को देखते हुए, आईडीबीआई बैंक ने दिनांक **07–11–2025** के अपने पत्र के माध्यम से ब्याज और अन्य राशियों सहित कुल मिलाकर **दिनांक 27–12–2025 के अनुसार देय रु. 7,41,579.05 (रुपये सात लाख इकतालीस हजार पांच सौ उन्यासी और पांच पैसे मात्र)** की राशि की वित्तीय सहायता को घोषित किया है, जो उधारकर्ता द्वारा तत्काल प्रभावे देय हो गई है और उधारकर्ता से उक्त पत्र में उल्लिखितानुसार संविदात्मक दर पर **10–10–2025** से भुगतान या वसूली तक राशि पर नियत अतिरिक्त ब्याज सहित उक्त राशि का भुगतान आईडीबीआई बैंक को करने का आह्वान किया गया है।

दिनांक 27–12–2025 के अनुसार देय रु. 7,41,579.05 (रुपये सात लाख इकतालीस हजार पांच सौ उन्यासी और पांच पैसे मात्र) की राशि, साथ ही 10–10–2025 से लागू होने वाला ब्याज, आईडीबीआई बैंक को तुरंत देय है, भुगतान/वसूली होने तक संविदात्मक दर पर अतिरिक्त ब्याज सहित यह सूचना आईडीबीआई बैंक द्वारा दिनांक **06–01–2026** को जारी की/भेजी गई थी। ऋणकर्ता/बंधककर्ता के संबंधित पतों पर सरफेसी अधिनियम की धारा 13(2) के अंतर्गत "पावती सहित पंजीकृत डाक" द्वारा सूचना भेजी गई थी, जो "अपर्याप्त पता" की डाक टिप्पणियों के साथ वापस आ गई। उपरोक्त को ध्यान में रखते हुये, सरफेसी नियमों के नियम 3(1) के परंतुक के अनुपालन में यह सार्वजनिक सूचना जारी की जाती है।

कृपया ध्यान दें कि आप **आईडीबीआई बैंक** की पूर्व लिखित सहमति के बिना (अपने व्यवसाय के सामान्य संचालन के अलावा) किसी भी गिरवी रखी गई संपत्ति का हस्तांतरण या अन्य किसी प्रकार से उपयोग नहीं करेंगे, अन्यथा आप सरफेसी अधिनियम की धारा 29 के तहत दंडनीय अपराध के लिए उत्तरदायी होंगे।

हम आपका ध्यान अधिनियम की धारा 13 की उप–धारा (8) के उन प्रावधानों की ओर आकर्षित करते हैं, जो गिरवी रखी गई संपत्तियों को छुड़ाने के लिए उपलब्ध समय से संबंधित हैं।

इन परिस्थितियों में, उधारकर्ता/बंधककर्ता से एक बार फिर अनुरोध किया जाता है कि वे उपरोक्त राशि का भुगतान आज से साठ दिनों के भीतर कर दें, अन्यथा **आईडीबीआई बैंक,** एक सुरक्षित ऋणदाता के रूप में, सरफेसी अधिनियम के प्रावधानों के साथ–साथ आईडीबीआई बैंक को अपने बकाया की वसूली के लिए उपलब्ध किसी अन्य कानून के तहत अपने सुरक्षा हित को लागू करने का हकदार होगा।

संपत्ति के विवरण :–

खसरा संख्या 29/11(8–0) किट्ठा 1 के अंतर्गत समाविष्ट खाता संख्या 158/209 वाली 04 मरला 01 सरसाही माप वाली भूमि के समस्त वह भाग तथा अंश, 37/1440 यानी 04 मरला मरला सरसाही के विस्तार तक का आवासीय प्लॉट संख्या 122, ग्राम झमपुर, हदबस्त संख्या 22, तहसील और जिला एसएएस नगर मोहाली, पंजाब में श्रीमती लक्ष्मी पत्नी श्री नानूमल के नाम पर स्थित है, विक्रय विलेख संख्या 5748 (विक्रय विलेख संख्या 5748 की प्रति दिनांक 12.01.2016) के तहत पंजीकृत, साथ ही वर्तमान और भविष्य दोनों समय में, उस पर निर्मित सभी संरचनाएं और निर्माण।

दिनाँक : 12–01–2026 **स्थान : चंडीगढ़** **प्राधिकृत अधिकारी, आईडीबीआई बैंक लिमिटेड**

OMKARA ASSETS RECONSTRUCTION Pvt. Ltd.

ओमकारा एसेट्स रीकंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड
पंजीकृत कार्यालयः 9,एम.पी. नगर, फर्स्ट स्ट्रीट, कोंगु नगर एक्सटेंशन, तिरुपुर-641607
कॉरपोरेट कार्यालयः कोहिनूर स्क्वायर, सैंतालीसवीं मंजिल, एन.सी. केलकर मार्ग, आर.जी. गडकरी चौक, दादर (वेस्ट), मुंबई-400028

परिशिष्ट-IV नियम 8(1)

कब्जा सूचना (अचल सम्पत्ति हेतु)

चूंकि, ओमकारा एसेट्स रीकंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड (ओएआरपीएल) कंपनी अधिनियम, 1956 के प्रावधानों के अधीन गठित एक कंपनी तथा भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) द्वारा भलीभांति पंजीकृत वित्तीय सम्पत्तियों के प्रतिभूतिकरण तथा पुनर्गठन तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन, 2002 (54 वर्ष 2002) (सरफेसी अधिनियम, 2002) की धारा 3 के अधीन एक सम्पत्ति पुनर्गठन कंपनी, जिसका CIN: U67100TZ2014PTC020363 है तथा पंजीकृत कार्यालयः 9, एम.पी. नगर, फर्स्ट स्ट्रीट, कोंगु नगर एक्सटेंशन, तिरुपुर-641607 कॉरपोरेट कार्यालयः कोहिनूर स्क्वायर, सैंतालीसवीं मंजिल, एन.सी. केलकर मार्ग, आर.जी. गडकरी चौक, दादर (वेस्ट), मुंबई-400028 है, **ओमकारा पीएस26/2024-25 ट्रस्ट** के ट्रस्टी के रूप में अपनी क्षमता में कार्यरत है के अधिकृत अधिकारी के रूप में अधोहस्ताक्षरी ने वित्तीय सम्पत्तियों के प्रतिभूतिकरण तथा पुनर्गठन तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 की धारा 5 के अंतर्गत समनुदेशन अनुबंध दिनांकित 27-03-2025 के मार्फत एसबीएफसी फाइनैंस लिमिटेड (जिसे यहां बाद में समनुदेशक वित्तीय संस्थान कहा गया है) से **तरसेम टी (कर्जदार/गिरवीदाता) तथा स्वीटी एस, सुरेश देवी (सह-आवेदक/गिरवीदाता/गांरटर), जिनका ऋण खाता संख्या पीआर01144513** की सम्पूर्ण बकाया रकम के साथ अंतर्निहित प्रतिभूतियों के सभी अधिकारों, मालिकाना एवं हित का अधिग्रहण किया है।

तथा चूंकि, समनुदेशक वित्तीय संस्थान ने के अधिकृत अधिकारी ने वित्तीय सम्पत्तियों के प्रतिभूतिकरण तथा पुनर्गठन तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन, 2002 तथा धारा 13(12) के साथ पठित वित्तीय हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 3 के अधीन प्रदत्त शक्तियों के प्रयोग करते हुए दिनांक **24/07/2025** को मांग सूचना जारी की थी, जिसमें कर्जदारों/गिरवीदाताओं/सह-कर्जदारों/गारंटरों को कथित सूचना की प्राप्ति की तारीख से 60 दिनों के अंदर सूचना में उल्लेखित कुल रकम **दिनांक 30.06.2025 की स्थिति के अनुसार रु. 10,84,844/- (रुपये दस लाख चौरासी हजार आठ सौ चौवालीस मात्र)** के साथ उस पर अनुबंधकीय दर पर उपार्जित आगे के ब्याज/अप्राप्त ब्याज के साथ आकस्मिक व्यय, लागत, शुल्क इत्यादि की रकम चुकता करने को कहा गया था।

कर्जदार/स्वत्वाधिकारी/गारंटरों द्वारा संबंधित रकम चुकता करने में विफल होने के कारण तथा समनुदेशन अनुबंध के अनुसार ओएआरपीएल समुदेशक वित्तीय संस्थान का कार्यभार संभालते हुए सम्पूर्ण बकाया रकम को वसूल करने तथा प्रतिभूति को कुर्क करने का हकदार बन चुका है। सरफेसी अधिनियम 2002 की धारा 13 की उप-धारा (12) के अधीन भलीभांति नियुक्त **ओमकारा एसेट्स रीकंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड** के अधिकृत अधिकारी ने अधिनियम की धारा 13 की उप-धारा (4) के साथ पठित प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 8 के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए **07 जनवरी 2026** को यहां नीचे उल्लेखित सम्पत्ति पर कब्जा कर लिया है।

एतद्द्वारा विशेष रूप से कर्जदारों तथा आम तौर पर जनसाधारण को संबंधित सम्पत्ति के साथ कोई सौदा नहीं करने के लिए सतर्क किया जाता है तथा संबंधित सम्पत्ति के साथ कोई भी सौदा **दिनांक 30.06.2025 की स्थिति के अनुसार रु. 10,84,844/- (रुपये दस लाख चौरासी हजार आठ सौ चौवालीस मात्र)** के साथ उस पर अनुबंधकीय दर पर उपार्जित आगे के ब्याज/अप्राप्त ब्याज के साथ आकस्मिक व्यय, लागत, शुल्क इत्यादि के लिए **ओमकारा पीएस26/2024-25 ट्रस्ट** के ट्रस्टी के रूप में अपनी क्षमता में कार्यरत ओमकारा एसेट्स रीकंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड, जिसका कॉरपोरेट कार्यालय कोहिनूर स्क्वायर, सैंतालीसवीं मंजिल, एन.सी. केलकर मार्ग, आर.जी. गडकरी चौक, दादर (वेस्ट), मुंबई-400028 है, के प्रभार का विषय होगा।

कर्जदारों/सह-कर्जदारों/गारंटरों/गिरवीदाताओं का ध्यान प्रत्याभूत सम्पत्तियों को मुक्त कराने के लिए उपलब्ध समय के संबंध में अधिनियम की धारा 13 की उप-धारा (8) के प्रावधानों की ओर आकर्षित किया जाता है।

उपरोक्त खाते में ओएआरपीएल को हॉयपोथिकेटेड/सुपुर्द/प्रभारित/गिरवी पर रखी गई सम्पत्तियों/आस्तियों का विवरण एवं जिसका कब्जा किया गया है का विवरण नीचे उल्लेखित हैः

अचल सम्पत्ति का विवरण

खेवट सं. 1546/1481, मुरबा सं. 217, किल्ला सं. 2, वाका ग्राम पाई, तहसील-पुंडरी, जिला-कैथल, हरियाणा में स्थित 40 वर्ग यार्ड परिमाप की सम्पत्ति। **चौहद्दीः** पूर्व-सुनील कुमार का मकान, पश्चिम-सड़क, उत्तर-एस्सर पेट्रोल पम्प, दक्षिण-सज्जन सिंह की दुकान।

अधिकृत अधिकारी
दिनांकः 07.01.2026 **कृते ओमकारा एसेट्स रीकंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड**
स्थानः हरियाणा **(ओमकारा पीएस26/2024-25 ट्रस्ट के ट्रस्टी के रूप में कार्यरत)**

बीटा ड्रग्स लिमिटेड
पंजीकृत कार्यालयः ग्राम नंदपुर, लोधीमाजरा रोड, बद्दी, जिला सोलन, हिमाचल प्रदेश 174101
टेलीफोनः 01795-236169, ईमेलः cs@betadrugslimited.com
वेबसाइटः www.betadrugslimited.com, सीआईएनः L24230HP2005PLC028969

असाधारण आम बैठक की सूचना

एतद्द्वारा सूचना दी जाती है कि ईजीएम की सूचना में उल्लिखित के अनुसार कारोबार संपन्न करने के लिए कंपनी के सदस्यों की असाधारण आम बैठक (ईजीएम) बुधवार, 4 फरवरी, 2026 को सुबह 11:30 बजे कंपनी के पंजीकृत कार्यालय नंदपुर गांव, लोधीमाजरा रोड, बद्दी, जिला सोलन, हिमाचल प्रदेश 174101 में में आयोजित की जाएगी।

बैठक में भाग लेने और मतदान करने का हकदार सदस्य अपने स्थान पर भाग लेने और मतदान करने के लिए एक प्रॉक्सी नियुक्त करने का हकदार है और प्रॉक्सी को कंपनी का सदस्य होना जरूरी नहीं है। प्रभावी होने के लिए, प्रॉक्सी फॉर्म को कंपनी के पंजीकृत कार्यालय में विधिवत रूप से भरा और हस्ताक्षरित करके ईजीएम के शुरू होने से कम से कम 48 घंटे पहले जमा करना होगा।

यथासमय संशोधित कंपनी (प्रबंधन एवं प्रशासन) नियम, 2014 के नियम 20 के साथ पठित कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 108 के प्रावधानों के अनुपालन में, सेबी (एलओडीआर) के विनियम 44 के अनुसार,

1. कंपनी अपने सदस्यों को उक्त ईजीएम की सूचना में निर्धारित प्रस्तावों पर इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से अपना वोट डालने के लिए रिमोट ई-वोटिंग सुविधा प्रदान कर रही है।
2. रिमोट ई-वोटिंग **1 फरवरी, 2026 (सुबह 9:00 बजे) से शुरू होगी और 3 फरवरी, 2026 (शाम 5:00 बजे)** को समाप्त होगी।
3. रिमोट ई-वोटिंग द्वारा वोट करने की पात्रता निर्धारित करने की कट ऑफ तिथि 29 जनवरी, 2026 है।
4. कोई भी व्यक्ति जो ईजीएम की सूचना भेजे जाने के बाद कंपनी के शेयर प्राप्त करता है और कंपनी का सदस्य बन जाता है और कट ऑफ तिथि यानी **29 जनवरी, 2026** तक शेयर रखता है, वह **evoting@nsdl.co.in/helpdesk.evoting@cdslindia.com** पर अनुरोध भेजकर लॉगिन आईडी और पासवर्ड भी प्राप्त कर सकता है।
5. **सदस्य कृपया ध्यान दें किः–**
   (क) रिमोट ई-वोटिंग मॉड्यूल **3 फरवरी, 2026 को शाम 5:00 बजे** के बाद लिंक इनटाइम इंस्टावोट द्वारा निष्क्रिय कर दिया जाएगा और एक बार सदस्य द्वारा प्रस्ताव पर वोट डालने के बाद सदस्य को बाद में इसे बदलने की अनुमति नहीं दी जाएगी।
   (ख) ईजीएम में भाग लेने वाले सदस्य जिन्होंने रिमोट ई-वोटिंग द्वारा अपना वोट नहीं डाला है, वे आगामी बैठक में बैलेट पेपर के माध्यम से अपने वोट के अधिकार का प्रयोग कर सकते हैं।
   (ग) ईजीएम से पहले रिमोट ई-वोटिंग द्वारा अपना वोट डालने वाले सदस्य भी ईजीएम में भाग ले सकते हैं, लेकिन उन्हें दुबारा अपना वोट डालने का अधिकार नहीं होगा।
   (घ) कोई व्यक्ति जिसका नाम कट ऑफ तिथि तक सदस्यों के रजिस्टर या डिपॉजिटरी द्वारा बनाए गए लाभभोगी स्वामियों के रजिस्टर में दर्ज है, केवल ईजीएम के दौरान रिमोट ई-वोटिंग और बैलेट पेपर के माध्यम से मतदान की सुविधा का लाभ उठाने का हकदार होगा।
   (ङ) ईजीएम की सूचना कंपनी की वेबसाइट **www.betadrugslimited.com** और स्टॉक एक्सचेंज यानी नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड की वेबसाइट **www.nseindia.com** पर उपलब्ध है।
   (च) पूछताछ के मामले में सदस्य **cs@betadrugslimited.com** पर ईमेल लिख सकते हैं या सुश्री रजनी बराड़, कंपनी सचिव, बीटा ड्रग्स लिमिटेड, एससीओ-184, सेक्टर-5, पंचकूला- 134114, फोन 0172-2585483 से संपर्क कर सकते हैं।

बीटा ड्रग्स लिमिटेड के लिए
हस्ता./-
रजनी बराड़
एसीएस24684
कंपनी सचिव सह अनुपालन अधिकारी

दिनांकः 13.01.2026
स्थानः बद्दी

OMKARA ASSETS RECONSTRUCTION Pvt. Ltd.

ओमकारा एसेट्स रीकंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड
पंजीकृत कार्यालयः 9,एम.पी. नगर, फर्स्ट स्ट्रीट, कोंगु नगर एक्सटेंशन, तिरुपुर-641607
कॉरपोरेट कार्यालयः कोहिनूर स्क्वायर, सैंतालीसवीं मंजिल, एन.सी. केल